न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1231/2026

CNR No.-UPGD010036312026

1–मालती आयु करीब 37 साल पत्नी बृजलाल,
निवासिनी–ग्राम अल्लीपुर बाजार, थाना–खोड़ारे, जिला–गोण्डा।

..... **प्रार्थिनी/अभियुक्ता।**

बनाम

सरकार उ०प्र०। ..... **विपक्षी।**

परिवाद संख्या–07/2020
धारा–323, 504, 452 भा.दं.सं.
व 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट,
थाना–खोड़ारे, जिला–गोण्डा।

दिनांक–08.06.2026

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **मालती** की ओर से परिवाद संख्या–07/2020, धारा–323, 504, 452 भा.दं.सं. व 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–खोड़ारे, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण दिनांक–25.05.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी श्रीमती सुनीता देवी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि घटना दिनांक–22.04.2019 समय करीब 8:00 बजे रात्रि की है, प्रार्थिनी अपने घर में बिजली का कनेक्शन लगवा रही थी। विपक्षीगण ने प्रार्थिनी के घर के एक कमरे एवं गली को कब्जा कर रखा है विपक्षीगणों ने इसी कब्जे को लेकर शाम को विवाद कर लिया जिसमें उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थिनी के घर में घुस आये उस समय प्रार्थिनी खाना खाने के बाद हाथ धुल रही थी कि विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को पकड़ लिया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये भद्दी–भद्दी गालियां देते हुये लात मूका थप्पड़ व डण्डे से मारने लगे और बगल अपने घर में खींच ले गये और वहां पर भी विपक्षीगणों ने प्रार्थिनी को मारा पीटा जिससे प्रार्थिनी को गम्भीर चोटें आयी जब प्रार्थिनी ने अपने बचाव में हल्ला गोहार किया गांव के तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गये तथा सारी घटना को देखा व बीच बराव कराया तब प्रार्थिनी की जान बच सही। किन्तु विपक्षीगण गांव वालों की उपस्थिति में भी प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देते रहे।

परिवादिनी के प्रार्थना–पत्र को न्यायालय द्वारा बतौर परिवाद दर्ज किया गया तथा परिवादिनी का बयान धारा–200 दं.प्र.सं. व साक्षियों का बयान धारा–202 दं.प्र.सं. के रूप में अंकित कर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु तलब किया गया।

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.04 10:40:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी उपरोक्त मुकदमें में बेगुनाह व निर्दोष है महज परेशान व हैरान करने के लिए फंसायी गयी है। प्रार्थिनी व परिवादिनी से जमीन की काफी दिनों से रंजिश चली आ रही है इसी रंजिश को लेकर परिवादिनी द्वारा फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है। उपरोक्त मुकदमें में परिवादिनी व गवाहान आपस में मेली मदद्गार है। प्रार्थिनी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उक्त मुकमदें में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थिनी से कथित घटना से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रार्थिनी सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थिनी के अलावा अन्य कोई घर की देखभाल व मुकदमें की पैरवी करने वाला नहीं है। अतः प्रार्थिनी को नियमानुसार जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने की कृपा की जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी श्रीमती सुनीता देवी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता को धारा उपरोक्त में विचारण हेतु तलब किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है तथा मारपीट के संबंध में जो मेडिकल प्रपत्र/आघात आख्या दाखिल किया गया है, उसमें चोटहिल को आयी चोटें साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया गया है। सम्बन्धित थाने से अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्ता अन्तरिम जमानत पर है, उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता **मालती** की ओर से परिवाद संख्या–07/2020, धारा–323, 504, 452 भा.दं.सं. व 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–खोड़ारे, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1231/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–08.06.2026

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
गोण्डा।

JO Code-UP1751